

प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठारीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उपनाम

1. श्रीमती टमुबाई पुत्री स्व. मोती पत्नी स्व. गोविन्द मेघवाल निवासी हाल मेहता तह. मावली।
वादीयां

बनाम

1. श्री डालु पिता स्व. मोती मेघवाल निवासी बोयणा (रेला) तह. मावली।
2. श्री भेरूलाल पिता स्व. भग्ना मेघवाल निवासी बोयणा (रेला) तह. मावली।
3. श्रीमती वालीबाई पुत्री स्व. भग्ना पत्नी देवीलाल मेघवाल निवासी जूनावास तह. मावली।
4. श्रीमती बदामी पुत्री स्व. भग्ना पत्नी पु. मेघवाल निवासी विठोली तह. मावली।
5. श्रीमती टांकुबाई पुत्री स्व. भग्ना पत्नी बगदीराम मेघवाल निवासी बांगरोदा तह. मावली।
6. श्रीमती राजुबाई पुत्री स्व. भग्ना पत्नी जमना मेघवाल निवासी पुरीयाखेडी तह. वल्लभनगर।
7. श्रीमती चन्द्रीबाई पुत्री स्व. भग्ना पत्नी बाबुलाल मेघवाल निवासी रख्यावल तह. मावली।
8. श्रीमती अन्सीबाई पुत्री स्व. भग्ना पत्नी भेरा मेघवाल निवासी लदानी तह. मावली।
9. श्रीमती रोडीबाई पत्नी भग्ना मेघवाल निवासी बोयणा (रेला) तह. मावली।
10. श्रीमती एजी पुत्री स्व. मोहन पत्नी माना मेघवाल निवासी देवाली तह. मावली।
11. श्रीमती कमला पत्नी स्व. मोहन मेघवाल निवासी बोयणा (रेला) तह. मावली।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 17/18 वाद

निर्णय दिनांक : 28.06.2019

अधिवक्ता वादीयां की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.06.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि - मौजा बोयणा, पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली की आराजी नम्बर 83, 84, 85, 87 किता 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/- रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावे। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावे। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो-दो प्रतियों में पेश किया जावे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावे। फिस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



सत्यप्रतिलिपि

—sd—
(मोहन सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली